भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4082
मंगलवार, 17 मार्च, 2026/26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी संस्थाओं का कमजोर कामकाज

†4082**. श्री जिया उर रहमानः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर कृषि, ऋण और डेयरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के कमजोर कामकाज और सीमित पहुंच की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार की समस्याएँ देशभर में सहकारी समितियों को भी प्रभावित कर रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सहकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली और पहुंच देश के विभिन्न हिस्सों में सहकारी समितियों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक प्रणालीगत चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती है । अतीत में, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के सीमित कार्यशील दायरे, सीमित पेशेवर प्रबंधन क्षमता, किफायती संस्थागत ऋण तक अपर्याप्त पहुंच और आधुनिक अवसरंचना के विकास के लिए वित्तीय बाधाएं जैसी कई बाधाएं देखी गई हैं ।

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के साथ अपनी स्थापना के बाद से 140 से अधिक पहलें की हैं ताकि जमीनी स्तर पर सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी उद्यमों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और जीवंत आर्थिक संस्थाओं में रूपांतरित करने के लिए एक सक्षम विधिक, आर्थिक और संस्थागत फ्रेमवर्क बनाया जा सके । इस संबंध में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कृषि, क्रेडिट, डेयरी और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई लक्षित उपाय कार्यान्वित किए गए हैं, जिनका विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है:

- **अवसंरचना सहायता:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में, अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में सहकारी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनसीडीसी कृषि एवं संबद्ध अवसरंचना के निर्माण, मूल्य श्रृंखला के विकास और सहकारी संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है । दिनांक 25.02.2026 तक, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए संचयी रूप से 5,16,122.32 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं, जिसमें से 7,749.08 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में संवितरित किए जा चुके हैं । मुरादाबाद जिले में, सहकारी समितियों को ऋण और अवसरंचना सहायता प्रदान करने के लिए एक एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) भी कार्यान्वित की गई है ।
- **पैक्स का विविधीकरण** : ग्रामीण समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई आदर्श उप विधियों के माध्यम से देश भर में पैक्स को **बहु-सेवा केंद्रों** के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है, जो उन्हें ऋण संवितरण के अलावा 25 अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों को संचालित करने में सक्षम बनाते हैं । उत्तर प्रदेश के झाँसी और चंदौली जैसे जिलों में, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के अंतर्गत उर्वरक केंद्रों और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के तहत जेनेरिक दवा दुकानों को संचालित करने के लिए पैक्स में विविधता लाई गई है ।
- **डेयरी विकास: श्वेत क्रांति 2.0** पहल के अंतर्गत, दुग्ध प्रापण को बढ़ाने, किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने और डेयरी मूल्य श्रृंखला में असंगठित मध्यस्थों की भूमिका को कम करने के लिए नई बहुद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों को पंजीकृत और सशक्त किया जा रहा है ।
- **सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण:** सहकारी चीनी मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहाँ गन्ने की खेती एक प्रमुख कृषि कार्यकलाप है । हालांकि, देश भर में कई सहकारी चीनी मिलों को परिचालन संबंधी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वे या तो बंद हो गई हैं या अपनी क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रही हैं। सहकारिता मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से बंद/रुग्ण सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रहा है । इस पहल का उद्देश्य सहकारी चीनी क्षेत्र को मजबूत करना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और गन्ना खेती से जुड़े किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना है । इसके अतिरिक्त, सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण की एक योजना के अधीन सहकारी चीनी मिलों को उनकी विस्तार योजनाओं में सहायता करने और उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ।
- **एम-पैक्स और सार्वभौमिक कवरेज:** एक राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत **2 लाख नए बहुद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां** स्थापित की जाएंगी, ताकि वर्ष **2028** तक प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत में कम से कम एक कार्यशील सहकारी संस्थान उपलब्ध हो सके । इस कार्यक्रम के तहत 32,000 से अधिक समितियां स्थापित की जा चुकी हैं ।
- **पैक्स का कंप्यूटरीकरण:** 2,925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के माध्यम से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी -आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड करके उनके कंप्यूटरीकरण का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अब तक पैक्स स्तर पर हार्डवेयर प्रापण और ईआरपी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए ₹67.10 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ।

- **बैंकिंग सुधार:** सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं । जिला और राज्य सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया गया है और सहकारी संस्थानों को यूपीआई तथा डिजिटल बैंकिंग समाधानों जैसी आधुनिक युग की साझा प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए **सहकार सारथी** की स्थापना की गई है ।
- **नए राष्ट्रीय परिसंघ:** तीन नई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां-राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)-की स्थापना की गई है ताकि प्राथमिक सहकारी समितियों को निर्यात, जैविक उत्पादों और गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया जा सके।
- **शासन और जवाबदेही:** सहकारी संस्थानों में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (सीईए)** की स्थापना और **सहकारी ऑम्बड्समैन** के प्रावधान जैसे संस्थागत सुधार शुरु किए गए हैं ।

इन उपायों का उद्देश्य सहकारी संस्थानों को सुदृढ़ करना, उनकी पहुँच (आउटरीच) का विस्तार करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश भर में किसानों, ग्रामीण आजीविका तथा स्थानीय आर्थिक विकास को समर्थन देने में उनकी भूमिका को बढ़ाना है।
